सार-समाचार

पांच दिवसीय दीपोत्सव पर्व का आगाज

रावतभाटा, (निसं)। रावतभाटा उपखंड में मंगलवार को धनतेरस के अवसर पर बाजारों में खरीददारी के लिए लोगों की भीड़ उमड पडी। किराना, रेडीमेड, चप्पल, जूते, बर्तन व सर्राफा की दुकानों पर दिनभर गहमागरमी का माहौल बना रहा। दीपावली के पहले बोनस का भुगतान हो जाने से इस बार राज्य कर्मचारियों ने धनतेरस पर लोगों ने खरीदारी में उत्साह दिखाया। टेलीविजन सेट, वांषिमषीन, फ्रीज, गाडीयां, बर्तन, इलेक्टानिक सामान की अच्छी ब्रिकी हुई। रेडिमेड वस्त्रों की दुकानों पर भी जमकर खरीदारी हुई। कई दुकानों पर तो ग्राहकों की भीड़ छंटने तक का इंतजार लोगों को करना पड़ा। व्यवसाय से जुडे व्यापारीयों का कहना था कि इस बार दषहरा, ईद व दीपावली आस-पास होने से ग्राहकी का जोर बना हुआ हैं। बर्तन बाजार में ग्राहकी दिन भर जारी रही। इलेक्ट्रोनिक की दुकानों में टी.वी. की बिक्री अधिक हुई। मंगलवार को मिठाई की दुकानें सज गई। इस अवसर पर एन.टी.सी., नया बाजार व रावतभाटा बाजार हाट चौक में ग्राहकी जोरों पर रही। यहा पूजा-सामग्री, सोना-चांदी के जेवरों, बर्तनों की खरीदारी अधिक हुई। तथा सायं को घर-आंगन में दिए जलाए। धनतेरस पर्व के साथ ही गुरूवार को प्रकाष पर्व दीपावली का आगाज हो गया। बाजारों में दिनभर चहल-पहल रही। लोगों ने कुबेर, धनवंतरि की पूजा-अर्चना की। रूप चतुर्दषी का पर्व बुधवार को मनाया जाएगा। धनतेरस पर कई लोगों ने दुपहिया, चार पहिया वाहन खरीदें। तथा धनतेरस पर लोगों ने दीप प्रज्जवलित कर धनवन्तरि की पूजा-अर्चना की। तथा आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में धनवन्तरिजी की जंयति मनाई जाकर पूजा-अर्चना की। मार्केट में भारी भीड को मध्य नजर रखते हुए पुलिस प्रषासन ने माकुल इंतजाम किए।

राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई

कोटा, (निसं)। सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्मदिवस 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने के उपलक्ष्य में मंगलवार को जिला प्रशासन कोटा एवं क्षेत्रीय खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र द्वारा शपथ ग्रहण एवं दौड़ का आयोजन किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर सीलिंग कृष्णा शुक्ला ने भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान को रेखांकित करते हुए उनके विचारों के बारे में बताया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर दौड़ के लिए रवाना किया। जिला खेल अधिकारी मधु चौहान ने बताया कि आयोजन में 150 लोगों ने भाग लिया। इसके बाद स्काउट्स एवं गाइड्स के पूर्व मंडल सचिव यज्ञदत्त हाड़ा ने सरदार पटेल के योगदान पर प्रकाश डालते हुए उनकी महानता के बारे में जानकारी दी। जनप्रतिनिधि राकेश जैन ने सभी खिलाड़ियों एवं उपस्थित जनसमूह को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। आयोजन में पूर्व जिला खेल अधिकारी अब्दुल अजीज पठान, हॉकी प्रशिक्षक हषवर्धन चुंडावत, जिला समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना रीना कुमारी मीना, तनिष्क एकेडमी की डायरेक्टर सोनिया राठौर, विभिन्न खिलाड़ी, स्काउट गाइड के सदस्य सहित आमजन उपस्थित रहे।

औषधालय में धनवन्तरी जयंती मनाई

रामगंजमंडी (निसं)। राजस्थान सरकार एवं आयुर्वेद विभाग के निर्देशानुसार हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी राजकीयआयुर्वेद औषधालय रामगंजमंडी में आरोग्य सप्ताह धनवन्तरी जयन्ति का आयोजन किया गया।आरोग्य सप्ताह के अन्तगर्त 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक प्रतिदिन अलग अलग गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसी कार्यक्रम में 29 अक्टूबर मंगलवार को धन्वतरी जयन्ति पर भगवान धनवन्तरी की पूजा अर्चना कर सभी के स्वास्थ्य की कामना करते हुये आरोग्य सप्ताह का समापान किया गया।धनवन्तरी जयंती के अवसर पर डॉ घनश्याम वैष्णव ने बताया कि धन तेरस पर भगवान धनवन्तरी की पूजा होती है। उन्हें आयुर्वेद का जन्मदाता और देवताओं का डॉक्टर माना जाता है। डॉ वैष्णव ने बताया कि भगवान विष्णु के 24 अवतारों में 12वां अवतार धनवन्तरी का था। भगवान धनवन्तरी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। वे समुद्र में से अमृत का कलश लेकर निकले थे।औषधालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मौके पर उपस्थित लोगों ने भगवान धन्वंतरी की मंत्रोच्चार के साथ पूजा कर समस्त विश्व के अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए कामनाएं की। इस कार्यक्रम में डॉ. घनश्याम वैष्णव चिकित्साधिकारी डॉ. बाबू लाल बैरवा चिकित्सा अधिकारी नवलसिंह मीणा वरिष्ठ कम्पाउंडर व डॉ. एकता परनामी हौम्योपैथिक उपास्थित रहे।

तम्बाकू के दुष्परिणाम बताये

रामगंजमंडी (निसं)। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 के तहत 24 सितम्बर से 23 नवंबर तक विभिन्न गतिविधियां कर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।चिकित्सालय प्रभारी डॉ.प्रमोद कुमार ने बताया कि टोबेको फ्री यूथ कैंपेन के तहत 60 दिवस तक अभियान चलाया जा रहा है।जिसके तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामगंजमंडी में 29 अक्टूबर मंगलवार को भी डॉ राजमोहन मीणा दंत चिकिसक द्वारा आमजन को तम्बाकू से होने वाले दुष्परिणामों व बीमारियों के बारे में समझाया गया।तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों के संबंध में जन जागृति तंबाकू मुक्त शिक्षा संस्थान तंबाकू मुक्त ग्राम तंबाकू नियंत्रण अधिनियम की पालना और सोशल मीडिया के द्वारा जन जागरूकता संबंधित कार्यक्रम किए जाएंगे।इस अवसर पर डॉ प्रमोद कुमार डॉ हेमराज मीणा डॉ राजमोहन मीणा डॉ अनिल मीणा डॉ सुनिता लेखाकार इंद्रजीत कौर व नीरज मीणा सहित समस्त स्टॉफ मौजूद था।

रसोई निर्माण कार्य शुरू

रावतभाटा, (निसं)। पंजाबी धर्मशाला अयोध्यापुरी में रसोई का निर्माण शुरू, पांच समाजों ने मिलकर पूजा अर्चना की। पंजाबी समाज अध्यक्ष बालकिशन गुलाटी ने जानकारी देते हुए बताया कि बाजार क्षेत्र के वार्ड नं. 8 में स्थित पंजाबी धर्मशाला अयोध्यापुरी में मंदिर और हाल की छत का ढांचा तैयार हो चुका है और मंगलवार को धनतेरस के अवसर पर उसमें रसोईघर का शुभारंभ किया गया। रसोई का निर्माण मनासा के गुलाटी परिवार के सहयोग से किया जा रहा हैं, इसमें सद्भावना की मिसाल पेश करते हुए पांच समाजों के प्रतिनिधियों ने पूजा अर्चना में भाग लिया। रसोई घर का निर्माण पूरा होने के बाद पंजाबी धर्मशाला को सभी समाजों के लिए रियायती दर पर किराए पर दिया जाएगा। पूजा अर्चना के बाद समाज की महिलाओं ने सभी का मुंह मीठा कराया, गुड चना का प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर पंजाबी समाज व पांच समाजों के प्रतिनिधि के रूप में कल्याणमल जैन, ग्यारसी लाल टेलर, प्रहलाद जंगम, दिनेश सेन, विक्रम गोरे आदि मौजूद रहे।

सफाई व्यवस्था का जायजा लिया

अंता (निसं)। नगर को स्वच्छ सुंदर आकर्षक बनाने के लिए नगर में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत रात्रि में भी सफाई अभियान चलाया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष रामेश्वर खंडेलवाल ने मंगलवार शाम 7:30 बजे बताया कि कस्बे के वार्ड पार्षद, जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्त्ता एवं नगरपालिका सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर शहर के प्रमुख मार्गो सहित प्रत्येक वार्डो ने जाकर निरिक्षण किया गया। साथ ही सफाई व्यवस्था का जायज़ा लिया। यह अभियान दीपावली पर्व को देखते हुऐ नगर को स्वछ सुंदर बनाने के लिए चलाया गया है। इस दौरान पालिका अध्यक्ष रामेश्वर खंडेलवाल के साथ साथ पार्षद कुलदीप शाक्य, मुरलीधर गहलौत, भाजपा नगर महामंत्री मोहित कालरा, भारत गालव, गोविंद शर्मा, हम्पी नामा, रोहित राठौर, रविंद्र शर्मा, महावीर वैष्णव, सहित अन्य कार्यकर्त्ता ने रात्रि कालीन सफाई एवं बिजली व्यवस्था का निरिक्षण किया।

ट्राई साइकिल रैली का आयोजन

अंता (निसं)। निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एसडीएम अन्ता अंजना सहरावत ने बताया कि मंगलवार को लगभग 10 बजे मतदाता सूचियों के प्रारुप प्रकाशन के अवसर पर विधानसभा क्षेत्र अन्ता मुख्यालय पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ट्राई साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम मतदाता जागरूकता संदेश दिया गया। रैली का आयोजन विकास अधिकारी पंचायत समिति अन्ता राधेश्याम भील के निर्देशन में किया गया। एसडीएम अन्ता ने बताया कि 01.01.2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले भावी मतदाता 29.10.2024 से 28.11.2024 तक मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक 01.10.2025 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा भी अभियान के दौरान मतदाता सूची में नाम जुडवाने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। रैली में सभी विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे।

स्वीकृत सड़क शीघ्र बनाने की मांग

छीपाबड़ौद (निसं)। छीपाबडोद के अनाज मंडी से पेट्रोल पंप बायपास तक क्षितग्रस्त सडक का स्वीकृति के बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं होने पर पूर्व पंचायत समिति सदस्य उपेन्द्र शर्मा ने सांसद दुष्यंत सिंह से फोन पर वार्ता कर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देशित करने की मांग की है। जिला परिषद सदस्य प्रियंका शर्मा के अनुसार सडक के इस हिस्से पर अनेकों दुर्घटनाएं हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा सडक की स्वीकृति होने के बाद भी निर्माण प्रारंभ होने में देरी हो रही हे वह चिंता का विषय है।

कोटा का राष्ट्रीय दशहरा मेला व्यापारियों को रास नहीं आया

- 'जब से मेला चार दिवारी में सीमित किया गया है तभी से उनके व्यापार को खासा नुकसान हो रहा है'
- 'कोटा दशहरा मेला को बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास हुए परंतु अंत में सारे प्रयास मेले को बेहतर नहीं बना पाए'

कोटा, (निसं)। कोटा का राष्ट्रीय दशहरा मेला अब व्यापारियों को रास नहीं आ रहा है। जब से मेले का स्वरूप बदला गया है तभी से विभिन्न प्रदेशों से आने वाले व्यापारी मेले को लेकर खासा बेचौन है। कोटा दशहरा मेले परिसर को जब से चार दिवारी में सीमित किया गया है और नए सिरे से मेले में व्यापारियों को दुकान आवंटित की गई हैं तभी से मेला व्यापारियों और आने वाले लोगों के लिए केवल भूलभुलैया बनकर रह गया है। जब हमने मेले को लेकर व्यापारियों से बात की तो ज्यादातर व्यापारियों के चेहरे पर मेले के व्यापार को लेकर मायूसी ही नजर आई।

व्यापारियों का कहना है कि पूर्व में मेला चार दिवारी में न होकर खुले तौर पर लगा करता था। जब से मेला चार दिवारी में सीमित किया गया है तभी से उनके व्यापार को खासा नुकसान हो रहा है। जब मेला चारदीवारी में नहीं था तब रात तक व्यापार चलता रहता था। बड़े लोग कारों और दो पहिया वाहनों से मेले में पहुंचते थे और खरीदारी करते थे। अब रात को भी लोग मेले में वाहनों से नहीं आ पा रहे, इस कारण से काफी नुकसान हुआ है। पहले वर्षों से दुकानों का स्थान निर्धारित था और इसी कारण से ग्राहक और व्यापारी के मध्य एक विश्वास का रिश्ता कायम हो गया था। अब जब मेला चार दिवारी में सीमित हुआ है तो पुराने ग्राहक दो-तीन सालों में बमुश्किल से टकरा पाते हैं। व्यापारियों की एक पीड़ा यह भी है कि नगर निगम के द्वारा मोटा सरकारी शुल्क तो वसूला जा रहा है साथ में डस्टबिन का खर्चा, फायर का खर्चा और अन्य खर्च भी लिए जा रहे हैं। इस कारण से व्यापारियों को मोटा पैसा केवल दुकान के आवंटन में ही देना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि पहले उनकी समस्याएं सुनने के लिए अधिकारी मेले में पहुंच जाते थे। व्यापारी को कोई परेशानी होती थी तो वह निगम में जाकर सीधा संपर्क कर लेते थे, लेकिन पिछले दो-तीन सालों में स्थिति पूरी बदल गई है। अब तो यह भी नहीं पता की अपनी पीड़ा और परेशानी लेकर वे किसके दरवाजे पर जाएं।

जब व्यापारियों से यह पूछा गया कि अगर इस मेले की चार दिवारी हटा दी जाए तो कैसा होगा, इस सवाल पर व्यापारियों के चेहरे चमक उठे। व्यापारियों ने कहा कि ऐसा तो पता नहीं संभव होगा या नहीं लेकिन कम से कम नगर निगम को मेल के दौरान चारों तरफ के दरवाजे तो पूरी तरह से खुला रखना चाहिए ताकि मेले में रात तक लोगों की आवाजाही बनी रहे।

व्यापारियों का कहना है कि मेले में दुकान और बाजार अब ऐसे बनाए गए हैं कि लोग दूर तक जाने में भी कतराने लगे हैं। जब हमने मेले का घूम कर निरीक्षण किया तो देखने में आया कि मुख्य सड़कों के किनारे जिन लोगों को दुकान या स्थान आवंटित हुआ है वह तो अपनी लागत वसूल करने में सफल रहे लेकिन अंदरुनी बाजारो के व्यापारी पूरी तरीके से व्यापार को लेकर मायूस ही नजर आए। मेले में ज्यादातर लोग यह कहते ही नजर आए की मेला पूरी तरीके से फ्लॉप है।

व्यापारियों का कहना है कि जब नए तरीके से मेले को व्यवस्थित किया जाना था तो फिर व्यापारियों की राय लेना जरूरी था। क्योंकि व्यापारी ही प्रशासन को यह बता सकता था की व्यवस्था किस तरीके से की जाए। व्यापारी से राय लेकर अगर मेले को व्यवस्थित किया जाता तो संभव था कि वर्तमान की अपेक्षा बेहतर परिणाम सामने आ जाते। वैसे कोटा दशहरा मेला में व्यापारियों को राहत देने के लिए नगर निगम और मेला समिति ने मेले को एक दिन और बढ़ा दिया लेकिन इसके बावजूद भी व्यापारी कोई खास संतुष्ट नहीं है। कई व्यापारी तो आज ही के दिन अपनी दुकान को समेट कर मेले से चले गए हैं।

व्यापारियों का कहना है कि अगर मिले की अवधि बढ़ाना ही था तो पहले बढ़ा देते। अब आधे लोगों को पता है कि मेला आगे बढ़ गया और आधों को नहीं पता की मेला आगे बढ़ाया गया है। त्यौहार का समय है ऐसे में घर भी जाना है। व्यापारी मेले के व्यापार को लेकर पूरी तरीके से मायूस ही है। मायूसी शहर के वरिष्ठ जनों में भी है। हर साल वह घर पर ही रहकर सिटी केवल के माध्यम से राष्ट्रीय दशहरा मेला में होने वाले राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का लुफ्त उठा लिया करते थे। लेकिन इस बार मेला आयोजकों के द्वारा इस व्यवस्था को भी बंद कर दिया गया जिस कारण से वरिष्ठ जनों में खासी नाराजगी और मायूसी रही।

डीआरएम ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

कोटा, (निसं)। लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मंडल में प्रत्येक वर्ष की भांति मनाया गया।

जिसके उपलक्ष्य में 29 अक्टूबर को मंडल रेल प्रबंधक मनीष तिवारी द्वारा राष्ट्र की एकता अखंडता और सुरक्षा को बनाये रखने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। रेल कर्मचारियों ने शपथ में देश की एकता, सरदार बल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों को बनाए रखने और देश की आतंरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का सत्यनिष्ठा से संकल्प लिया।

इसके अतिरिक्त डीआरएम मनीष तिवारी ने रन फॉर यूनिटी के तहत बाईक रैली एवं दौड़ को मंडल कार्यालय के प्रांगण से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिसमे अत्यधिक संख्या में रेल सुरक्षा बल के जवानों, कर्मचारियों एवं स्काउट गाईड ने प्रतिभाग किया।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक LU2012/KOT/2024-25/100815 लोक सूचना दिनांक : 29/10/2024

श्री DEEPAK RAJWANSHI पुत्र श्री LT.SH.BRJNANDAN RAJWANSHI जाति MAHAJAN निवासी 2-A-8 RANGARI ROAD TALWANDI KOTA व श्री GIRIRAJ PRASHAD पुत्र श्री BABU LAL PRASAD जाति MEGHWAL निवासी PREM NAGAR CHORAHA FIRST , POOJA CYCLE KI GALI, PREM NAGAR , UDYOGPURI, KOTA ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभीधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है अर्थात :-

ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
सोगरिया, लाडपुरा (कोटा)	GIRIRAJ PRASHAD S/O BABU LAL HISSA PRUNA CASTE-MEGHWAL NIWASI PREMNAGAR FIRST, POOJA CYCLE KI GALI, PREM NAGAR, KOTA KHATEDAR	680/112	3500	0.35
सोगरिया, लाडपुरा (कोटा)	SHUBHAM INFRATECH HISSA PURNA REGISTERD OFFICE CHOUDHARY HOTEL PARISHAR, AERODRAM CIRCLE, KOTA , KHATEDAR	113	8600	0.86
		688/114	400	0.04
		675/636	5100	0.51
			कुल	1.76

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभीधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमी के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने की अभीधृति अधिकारी के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आइकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपयुक्त समय नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जाएगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जाएगा।

प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक: LU2012/KOT/2024-25/100777 लोक सूचना दि.29.10.2024

श्री OM PRAKASH पुत्र श्री SURAJMAL जाति MEGHWAL निवासी 238, CHOTHMAL KE MAKAN KE PASS, SOGARIYA, KOTA ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	सोगरिया, लाडपुरा (कोटा)	OM PRAKASH S/O SURAJMAL	281/1	5400	0.54
				कुल	0.54

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम,1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 29/10/2024 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-1695 नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना दिनांक:-29.10.2024

नगर विकास न्यास कोटा की बालाजी नगर आवासीय योजना के भूखण्ड/आवास संख्या 862 का आवंटन/हस्तान्तरण न्यास के पत्र दिनांक 17.07.2018 को श्री नन्द किशोर माहेश्वरी पुत्र श्री कृष्ण गोपाल माहेश्वरी को किया गया था। आवंटी श्री नन्द किशोर माहेश्वरी पुत्र श्री कृष्ण गोपाल माहेश्वरी द्वारा उक्त भूखण्ड का जर्ये मुख्तारआम श्री अमृतलाल विश्वकर्मा पुत्र श्री मांगीलाल विश्वकर्मा द्वारा रजि. विक्रय पत्र दिनांक 30.08.2024 को श्री राजकुमार नागर पुत्र श्री केसरी लाल नागर को विक्रय कर दिया गया है। अत: क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नामहस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 862 योजना बालाजी नगर आवासीय का नाम हस्तान्तरण श्री राजकुमार नागर पुत्र श्री केसरी लाल नागर के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी। उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला -चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/नपारा/भूमि/2024-25/4066 सार्वजनिक आपत्ति सूचना दिनांक:-29.10.24

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूखंडधारी/आवेदक श्री मुबारिक हुसैन पिता श्री बाबु खॉ निवासी रावतभाटा ने आवेदन प्रस्तुत कर श्रीगणेश नगर आवासीय योजना रावतभाटा के आवासीय भूखंड संख्या 19 श्रेणी (अ) साईज 25x50 क्षेत्रफल 1250 वर्गफीट अर्थात 116.17 वर्गमीटर का पूर्व में जारी 99 वर्षीय लीज होल्ट राईट्स के आधार पर लीज डीड/पट्टे का समर्पण कर फ्री-होल्ड राईट्स के तहत पूर्ण स्वामित्व का पट्टा चाहा गया है। पालिका के रिकार्ड अनुसार यह भूखंड पालिका द्वारा अनुमोदित श्रीगणेश नगर आवासीय योजना की राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के प्रावधानों के तहत दिनांक 31.12.2007 को निकाली गयी लाटरी अन्तर्गत मूल आवंटी श्रीमती शान्ता कंवर पत्नी स्व. श्री गोविन्द सिंह निवासी रावतभाटा को आवंटित किया गया था, जिसकी 99 वर्षीय लीज डीड (पट्टा) आवंटी के पक्ष में क्रमांक 550 दिनांक 19.03.2008 एवं पंजीयन दिनांक 05.08.2008 से जारी किया गया है। इसके पश्चात इस भूखंड को मूल आवंटी द्वारा आवेदक को पंजीकृत विक्रय पत्र किमतन 5,00,000/-रुपये पंजीयन दिनांक 10.10.2022 के जरिये विक्रय किये जाने के आधार पर इस भूखंड का नामान्तरण आवेदक के पक्ष में पालिका के नाम हस्तान्तरण पत्र क्रमांक 4537 दिनांक 08.02.2023 से पालिका रिकार्ड में दर्ज किया गया है।

चूंकि इस भूखंड पर नगर पालिका रावतभाटा द्वारा मूल आवंटी के पक्ष में जारी लीज डीड (पट्टा) के अंतर्गत अंकित भूखंड की चतुर्थ सीमाओं की दिशाओं का गलत अंकन होने के कारण आवेदक/नामान्तरिती द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये भूखंड के स्वामित्व हस्तान्तरण पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये प्राप्त भूखंड के स्वामित्व हस्तान्तरण अधिकार के आधार पर भूखंड की लीज होल्ड आधारित पट्टे व नामान्तरण के अधिकारों का समर्पण कर संबंधित समस्त मूल दस्तावेज पालिका में जमा कर फ्री-होल्ड आधारित पट्टा अपने नाम से जारी करवाने हेतु आवेदन किया गया है।

अत: आवेदक/भूखंडधारी/नामान्तरिती के पक्ष में उपरोक्त प्रस्तुत दस्तावेजों के तहत पूर्व में 99 वर्षीय लीज होल्ड राईट्स के तहत जारी लीज डीड (पट्टा) व नामान्तरण अधिकारों का समर्पण स्वीकार कर उसे निरस्त करते हुए स्वामित्व हस्तान्तरण अधिकारों के तहत उप पट्टेदार/आवेदक श्री मुबारिक हुसैन पिता श्री बाबु खॉ निवासी रावतभाटा के नाम पर फ्री-होल्ड राईट्स के तहत पूर्ण स्वामित्व का पट्टा जारी किए जाने पर किसी भी व्यक्ति/विभाग/संस्था/बैंक इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस प्रकाशन से 07 (सात) दिवस के भीतर-भीतर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में मय साक्ष्य सबुत के अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। आपत्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी। सूचित रहे ।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रावतभाटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-11/विक्रय/2024/941 दिनांक:-29.10.2024

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा योजना आनन्दपुरा भूखण्ड संख्या 942 का आवंटन क्रमांक 978 दिनांक 22.12.1990 को श्री अब्दुल हनीफ पुत्र श्री अब्दुल हमीद के नाम आवंटन किया गया था। श्री अब्दुल हनीफ पुत्र श्री अब्दुल हमीद द्वारा उक्त भूखण्ड का जर्ये मुख्तारआम श्री रतन जैन पुत्र श्री रखब चन्द जैन द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.11.2006 को श्री बृजेन्द्र नाथ भटनागर पुत्र श्री जगन्नाथ भटनागर को विक्रय कर दिया गया था। श्री बृजेन्द्र नाथ भटनागर की मृत्यु दिनांक 23.10.2023 को हो गयी है। मृत्यु उपरान्त श्री बृजेन्द्र नाथ भटनागर पुत्र श्री जगन्नाथ भटनागर के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, वसीयत गवाहों के शपथ पत्रों आईडी इत्यादि दस्तावेजों के आधार पर श्री अनुराग भटनागर पुत्र स्व.श्री बृजेन्द्र नाथ भटनागर द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या 942 अपने नाम हस्तान्तरण करने की स्वीकृति नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नामहस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या 942 योजना आनन्दपुरा का नाम हस्तान्तरण श्री अनुराग भटनागर पुत्र स्व.श्री बृजेन्द्र नाथ भटनागर के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-4003 जाहिर आम सूचना दिनांक 28.10.24

आवास संख्या 2-च-14 विज्ञान नगर कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री कृष्ण मुरारी गर्ग पुत्र श्री राम नारायण गर्ग को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री कृष्ण मुरारी गर्ग पुत्र श्री राम नारायण गर्ग द्वारा दिनांक 30.03.1999 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री कृष्ण मुरारी गर्ग पुत्र श्री राम नारायण गर्ग की मृत्यु दिनांक 21.03.2012 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत श्रीमती कैलाश बाई पत्नी स्व.श्री कृष्ण मुरारी, श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी श्री चतुर बिहारी, श्रीमती ज्योति शर्मा पत्नी श्री शैलेश कुमार शर्मा, श्रीमती जागृति पत्नी श्री ओमप्रकाश एवं श्री धनन्जय शर्मा पुत्र स्व.श्री कृष्ण मुरारी द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 2-च-14 विज्ञान नगर, कोटा को मृत्यु प्रकरण के नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर संयुक्त रूप से करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा के आधार पर श्रीमती कैलाश बाई पत्नी स्व.श्री कृष्ण मुरारी, श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी श्री चतुर बिहारी, श्रीमती ज्योति शर्मा पत्नी श्री शैलेश कुमार शर्मा, श्रीमती जागृति पत्नी श्री ओम प्रकाश एवं श्री धनन्जय शर्मा पुत्र स्व.श्री कृष्ण मुरारी के नाम संयुक्त रूप से किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती कैलाश बाई पत्नी स्व.श्री कृष्ण मुरारी, श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी श्री चतुर बिहारी, श्रीमती ज्योति शर्मा पत्नी श्री शैलेश कुमार शर्मा, श्रीमती जागृति पत्नी श्री ओमप्रकाश एवं श्री धनन्जय शर्मा पुत्र स्व.श्री कृष्ण मुरारी के नाम संयुक्त रूप से कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला -चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/नपारा/भूमि/2024-25/4060 आपत्ति सूचना दिनांक:-29.10.24

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री नवनीत पुरोहित पिता श्री अमृतलाल पुरोहित निवासी रावतभाटा के द्वारा इस कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर नगर पालिका रावतभाटा की श्री गणेश नगर आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या 362 श्रेणी (ब) जो श्री अमृतलाल पुरोहित पिता स्व. श्री भवानी शंकर पुरोहित निवासी रावतभाटा को जरिये लॉटरी दिनांक 31.12.2007 अन्तर्गत आवंटित किया गया था। जिसका आवंटी के पक्ष में लीज डीड क्रमांक 472 दिनांक 19.03.2008 से जारी किया गया है व पंजीयन